संख्या-8/2024/बी-2/94/दस-2024

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक 05 मार्च, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को अन्तरण हेतु व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को अन्तरण-42-अन्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 करोड़ (रू0 तीन सौ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने तथा उसे व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनाँक सहित, संहत सूचना शासन के वित्त विभाग तथा प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को अन्तरण-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-8/2024/बी-2-94(1)/दस-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।